लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/ 304 भोपाल, दिनांक 10/09/2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे विद्यालय मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः–1. संचालनालय का पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025।
2. संचालनालय का पत्र क्र/281 दिनांक 03.09.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्र–2 के अनुक्रम मे शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे विद्यालय में रिक्त पद होने पर विकासखण्ड पेनल मैरिट सूची से अतिथि शिक्षक आमंत्रण करने के निर्देश दिये गये है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखण्ड एवं जिले का पेनल ऑनलाईन तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में शाला प्रभारी निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेगें–

1. विकासखण्ड पेनल मैरिट सूची में समस्त आवेदकों की असहमति/आवेदक उपलब्ध नही होने की स्थिति में शाला प्रभारी के लॉगिन पर उपलब्ध जिले की पेनल मैरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को मैरिट क्रम में आमंत्रित किया जा सकेगा।
2. यदि गत सत्र (2024–25) में कोई आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत किया है तथा वर्तमान में विद्यालय में रिक्त पद है एवं संचालनालय के पत्र क्र./199 दिनांक 26.06.2025 में दिये गये निर्देशों के आधार पर आवश्यकता है, तो उसी आवेदक को (यदि वह जिला एवं विकाखण्ड की पेनल मे है) यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा।
3. यदि विद्यालय में वर्ग–3 प्री–प्रायमरी के रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदक विकासखण्ड/जिले की मैरिट मे उपलब्ध नही होने की स्थिति में वर्ग–3 जनरल के पेनल से वर्ग–3 प्री–प्रायमरी के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किये जा सकेगें।
4. अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है। अतिथि शिक्षक का ऑफलाईन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नही किया जायेगा।
5. समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाईन ई–अटेडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफार्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी संबंधित की उपस्थिति ई– अटेडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही शाला प्रभारी करना सुनिश्चित करें।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025–26/305 भोपाल, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा मे पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner